संख्या-303/2015-5306/नौ-5-2015-175बजट/2011

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिचाई विभाग, कानपुर के पत्र संख्या-सी-2300/ बैनिमंका/अनु0-2014-15 दिनांक 24.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रावधानित धनराशि **रू. 300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 150.00 लाख (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित कार्यो एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, नगरीय निकाय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं -:

क्रम सं0	मद
1	गेटों के रख-रखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेन्स बाक्स इत्यादि
2	बिजली बिल 150 के.वी.ए. इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट व फर्श, लांचिग अप्रंग सी.सी.ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बन्ध, एफलेक्स बन्ध, गाइड बन्ध. की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वायर एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर पुल का रख-रखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ एवं गनर, गार्डस दो जगहों पर प्रत्येक शिफट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफट के लिए
10	साइट आफिस एवं कन्ट्रोल रूम के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति(विद्युत देयों को शामिल करते हुए) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

1. उक्त धनराशि आहरण निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यों पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।
4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ.प्र.शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-04-गंगा बैराज, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

.4 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-2-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-303/2015/5306(1)/नौ-5-2015-175बजट/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. मुख्य अभियंता (राम गंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
9. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. सुपर यूजर नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।